न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 61 / 2017

सरकार बनाम नोरंग, मनीराम, पि. म्हादा, जाति–जाट, निवासी– किढ़वाना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 20.07.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल नोरंगलाल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल नोरंग, मनीराम पि. म्हादा, जाति–जाट, निवासी–किढ़वाना द्वारा रोही मौजा किढ़वाना की राजकीय भूमि ख.नं. 749 कुल रकबा 0.25 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.01 है0 भूमि जोतकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल नोरंगलाल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि गै.मु. रास्ते की भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण नही है। गैर सायल मनीराम को जारी नोटिस में तामील कुनीन्दा की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर रहना बताया, जिसके खुले मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। गैर सायल मनीराम अनुपस्थित। गैर सायल नोरंगलाल द्वारा प्रस्तुत जवाब में कोई साक्ष्य / सबूत पेशन नही करने से जवाब को संतोषजनक नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 11 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 5/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़